



**जोधपुर विद्युत  
वितरण निगम  
लिमिटेड**

क्रमांक: जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे. 3970दि. 06.02.13

आदेश

**विषय: कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे हुए भार की "स्वैच्छिक  
भार वृद्धि घोषणा योजना"।**

कृषि कनेक्शनो में अनाधिकृत बढे हुए भार को नियमित करने हेतु आदेश क्रमांक 2153 दिनांक 30.07.12 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/579) द्वारा "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" प्रसारित की गई थी। उक्त योजना दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक प्रभावी थी। दिनांक 28.01.13 को आयोजित डिस्कॉम समन्वय समिति की बैठक में इस विषय पर विचार विमर्श के बाद लिये गये निर्णय के अनुसार पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 2153 दिनांक 30.07.12 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/579) द्वारा प्रसारित योजना को दिनांक **31 मार्च 2013** तक बढ़ाया जाता है।

उक्त योजना की सभी शर्तें पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार ही रहेगी। इसकी सूचना/जानकारी उपभोक्ताओं को भी दे दी जाये।

आज्ञा से

*Yusuf* 6/2/13  
( पी.एम. खत्री )

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट : यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट [www.jdvvn.com](http://www.jdvvn.com) पर भी उपलब्ध है।